



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

Govt. of Uttar Pradesh Undertaking

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

सं०-665-विधि(वाद)-22/पाकालि/21-24-वीपी/00(टी०सी०)

दिनांक: 21 मार्च, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन द्वारा निर्गत विज्ञापन सं० 01/Advocate/UPPCL/2020, दिनांक 12.12.2020 के अनुक्रम में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसके सहयोगी वितरण कम्पनियों के विरुद्ध दायरवादों की पैरवी करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को आवंटित क्षेत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से स्थायी अधिवक्ता नामित किया जाता है:-

क्रम सं०	अधिवक्ता का नाम	बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाणिज्यिक/गैर वाणिज्यिक वादों हेतु	आवंटित क्षेत्र
1	श्री महबूब अहमद	ए०एम० 0817/1991	वाणिज्यिक	केस्को
2	श्री बालेश्वर चतुर्वेदी	यू०पी० 9619/2002	वाणिज्यिक	आगरा/बुलंदशहर क्षेत्र
3	श्री कार्तिकेय सरन	यू०पी० 3388/2009	वाणिज्यिक	मेरठ क्षेत्र
			गैर-वाणिज्यिक	सहारनपुर क्षेत्र
4	श्री कृष्णा अग्रवाल	यू०पी० 3593/2004	वाणिज्यिक	उ०प्र० पा० का० लि०
			गैर-वाणिज्यिक	मुरादाबाद क्षेत्र
5	श्री अभिषेक श्रीवास्तव	यू०पी० 7223/2005	वाणिज्यिक	नोएडा
			गैर-वाणिज्यिक	उ०प्र० पा० का० लि०
6	श्री आदर्श भूषण	यू०पी० 3398/2009	गैर-वाणिज्यिक	वाराणसी क्षेत्र
7	श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी	यू०पी० 7953/2002	वाणिज्यिक	प्रयागराज एवं सहारनपुर क्षेत्र
8	श्री उदित चन्द्रा	यू०पी० 3612/2009	वाणिज्यिक	वाराणसी
9	श्री देवेश विक्रम	यू०पी० 11428/2003	गैर-वाणिज्यिक	गोरखपुर क्षेत्र
10	श्री प्रांजल मेहरोत्रा	यू०पी० 4368/2007	वाणिज्यिक	गाजियाबाद क्षेत्र
11	श्री राजेश यादव	यू०पी० 3656/1990	वाणिज्यिक	मुरादाबाद क्षेत्र
12	सुश्री रिशु मिश्रा	यू०पी० 4722/2009	वाणिज्यिक	गोरखपुर क्षेत्र
13	श्री सुयश अग्रवाल	यू०पी० 8867/2003	गैर-वाणिज्यिक	आजमगढ़ क्षेत्र
14	श्री चेतन चटर्जी	यू०पी० 7471/2003	वाणिज्यिक	आजमगढ़ क्षेत्र
15	श्री शिवम यादव	यू०पी० 3452/2009	गैर-वाणिज्यिक	बरेली क्षेत्र
16	श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी	यू०पी० 7070/2000	गैर-वाणिज्यिक	बस्ती क्षेत्र
17	श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह	यू०पी० 3816/2007	गैर-वाणिज्यिक	बुलंदशहर एवं नोएडा क्षेत्र
18	श्री चन्द्रशेखर सिंह	यू०पी० 2551/1979	वाणिज्यिक	बस्ती क्षेत्र
19	श्री लाल मणि सिंह	यू०पी० 1111/1998	गैर-वाणिज्यिक	मिर्जापुर क्षेत्र
20	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	यू०पी० 12938/2000	वाणिज्यिक	मिर्जापुर क्षेत्र
21	सुश्री रुषा किरन	यू०पी० 1729/1988	गैर-वाणिज्यिक	केस्को

(Signature)

Bhupendra Ran

22	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	एम0 821	गैर-वाणिज्यिक	प्रयागराज क्षेत्र
23	श्री कृष्णकान्त राव	यू0पी0 7645/2007	गैर-वाणिज्यिक	आगरा क्षेत्र
24	श्री सुनील कुमार दूबे	यू0पी0 12389/2003	वाणिज्यिक	आगरा-द्वितीय क्षेत्र
25	श्री ओम प्रकाश मिश्रा	यू0पी0 5545/2005	गैर-वाणिज्यिक	आगरा-द्वितीय क्षेत्र
26	सुश्री आरती राजे	3632	वाणिज्यिक	झासी क्षेत्र
27	श्री जय कृष्ण उपाध्याय	यू0पी0 9125/2000	गैर-वाणिज्यिक	झासी क्षेत्र
28	श्री गौरव सिंह	यू0पी0 1650/2005	वाणिज्यिक	बांदा क्षेत्र
29	श्री पूर्णन्दु कुमार सिंह	यू0पी0 4052/2004	गैर-वाणिज्यिक	बांदा क्षेत्र
30	श्री मदन मोहन चौरसिया	ए0एम0 0013/2012	वाणिज्यिक	कानपुर क्षेत्र
31	श्री सुशील कुमार पाल	यू0पी0 8023/2004	गैर-वाणिज्यिक	कानपुर क्षेत्र
32	श्री आलोक मिश्रा	यू0पी0 11432/2003	वाणिज्यिक	अलीगढ़ क्षेत्र
33	श्री मनु घिल्डियाल	यू0पी0 4240/2005	गैर-वाणिज्यिक	अलीगढ़ क्षेत्र
34	श्री मुकेश कुमार सिंह	यू0पी0 10246/2000	वाणिज्यिक	बरेली क्षेत्र
35	श्री बृजेश प्रताप सिंह	यू0पी0 5772/1995	गैर-वाणिज्यिक	मेरठ क्षेत्र
36	श्री जितेन्द्र सरीन	यू0पी0 8833/2010	गैर-वाणिज्यिक	गाजियाबाद क्षेत्र

1. कोई विशिष्ट मुकदमा किसी विशिष्ट अधिवक्ता को आवंटित किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0 का0 लि0 / डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक को होगा।
2. कारपोरेशन तथा विभिन्न डिस्काम को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी पैनल अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ता को बिना नोटिस या बिना कारण बताये हटा दें।
3. कारपोरेशन की ओर से नामित अधिवक्ता कारपोरेशन के विरुद्ध किसी वाद/अपील/याचिका इत्यादि में पैरवी नहीं करेंगे।
4. स्थायी अधिवक्ता को पावर कारपोरेशन/डिस्काम से सम्बन्धित वाद/अपील/याचिका/अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक बिन्दुओं पर अभिमत हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क अनुमन्य नहीं होगा।
5. नामित अधिवक्ताओं को कारपोरेशन में लागू शर्तों के अनुसार फीस देय होगी तथा किसी प्रकार का रिटेनरशिप अनुमन्य नहीं होगा।
6. कारपोरेशन व अन्य समस्त विद्युत वितरण कंपनियों के पैनल पर पूर्व से नामित समस्त अधिवक्ताओं का पैनल तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जाये।
7. अधिवक्ताओं को आवंटित क्षेत्रों का परिवर्तन/निरस्त करने का अधिकार कारपोरेशन के अध्यक्ष के पास सुरक्षित है।

अध्यक्ष

सं0-665-(1)-विधि(वाद)-22/पाकालि/21 तददिनांक 21 मार्च 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केरको, कानपुर।

 Bhupendra Rai

4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को, कानपुर।
6. समस्त उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि हटाये गये अधिवक्ताओं से पत्रावलियां नवनियुक्त अधिवक्ताओं को हस्तांतरित करायें।
7. सहायक विधि अधिकारी, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिवक्ता का नाम:-
9. कट फाइल।

आज्ञा से,
Bhupendra Rai
(भूपेन्द्र राय)
एच0जे0एस0
विधि अधिकारी